

Witness No- 01 For- अभियोजन Deposition taken the- 08.01-2026 Day of- गुरुवार Witness's Apparent Age- 31 वर्ष States on Affirmation- शपथ पूर्वक My Name is-श्रीमती हर्षा ठाकरे D/O श्री जे एस देशमुख ccupation- गृहणी Address- न्यू आदर्श नगर, जोन क्रमांक 01, बी 02 लाईन, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ०ग०)

प्रकरण क्र. 3054/2022

शासन विरुद्ध विजय ठाकरे वगै०

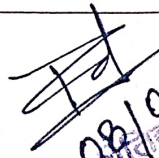
समय 04.05 P.M.से प्रारंभ

शपथपूर्वक कथन --

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ वास्ते अभियोजन

01- मैं आरोपीगण विजय ठाकरे, रेखलाल ठाकरे एवं श्रीमती धनवंता ठाकरे, को जानती पहचानती हूँ। मेरा विवाह मोती नगर बालाघाट निवासी विजय ठाकरे के साथ हिन्दु रिति रिवाज के साथ दिनांक 26.11.2020 को संपन्न हुआ था। विवाह के समय मेरे माता पिता सोने चांदे के जेवरात व घरेलू सामान व दो लाख रुपये स्वेच्छा पूर्वक उपहार स्वरूप दिये थे, विवाह के पश्चात मैं ससुराल बालाघाट में अपने पति विजय ठाकरे सहित रहने लगी, कुछ दिन बार मेरे पति, मेरे सास धनवंती ठाकरे, रेखलाल ठाकरे के साथ छोटी छोटी बातों में आपस में कहा सुनी हो गई थी, तब मैं गुस्से में आकर आरोपीगण के विरुद्ध लिखित शिकायत कर दी थी, लिखित शिकायत प्र०पी० 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। लिखित शिकायत के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध थाना दुर्ग में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसके अवाला मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। जसी पत्रक प्र०पी० 03, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं पुलिस को बयान नहीं दी हूँ।




08/01/26
मु. शांति नगर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम न्याया
दुर्ग (छ.ग.)

टीप:- इसी स्तर पर साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक स्तर के प्रश्न पुछे जाने की अनुमति चाही गयी । विचार बाद अनुमति दी गयी ।

02- यह कहना गलत है कि विवाह के 15 दिन बाद मैं पग फेरे रस्म के लिये मैं मायके आई थी और रस्म पुरा होने के बाद जब मैं ससुराल गई तो मेरे सास धनवंतरा ठाकरे, ससुर रेखलाल ठाकरे, ननद जेवती चौधरी ससुराल घर में ही रहती थी और मुझे छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगे और बोलते थे कि विवाह में तुम्हारे मा बाप ने ढंग का व्यवस्था नहीं किया था, हमारा एकलौता बेटा है दान दहेज ढंग का दें पर ऐसा नहीं हुआ बोलते थे।

03- यह कहना गलत है कि कंगाल घर से आई हो तुम्हारे मां बाप ने खाली हाथ भेजा है, 50 साडी लेकर आना था, अपने लडके को गवार लडकी से शादी करवा दी कर बोलकर मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे और इस बात पर मेरे पति विजय ठाकरे भी उनका साथ देता था। यह कहना गलत है कि मेरी सास व ननद आये दिन मेरे पति को मेरे खिलाफ भडकाया करती थी, जिसके कारण मेरा पति मुझसे मारपीट करता था।

04- यह कहना गलत है कि मेरी ननद व मेरी सास आये दिन मेरे पिता को छोड दो और दुसरी शादी कर लो कहती थी। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने मौहाल खराब है कहकर मुझे मायके छोडकर आ गया था। यह कहना गलत है कि मेरे पति से तंग आकर उनके नौकरी के स्थान पर चली गई थी, तब मेरे पति ने वहा जाने की बात की जानकारी होने पर वह बालाघाट चला गया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 24.07.2021 को भोपाल में उनके पास गई थी और उनके साथ रहने लगी थी, तब मेरे पति का व्यवहार सामान्य था, किन्तु ससुरालों के द्वारा आये दिन मेरे पति को भडका



08/10/26
राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
दुर्ग (छ.प्र.)

कर कहते थे कि उनको मायके छोड़ कर आ जावों। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने इन्टरव्यू देना है झूठ बोलकर मुझे मायके छोड़ दिया था। दिनांक 23.08.2023 को तुमको वापस लेने आउगाँ कहकर मुझे वापस लेने नहीं आये।

05- यह कहना गलत है कि मेरे पति और ससुराल वालों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया था। यह कहना सही है कि मैं आरोपीगण के विरुद्ध स्वच्छेपूर्वक राजीनामा कर लिया हूँ। यह कहना गलत है कि मैं अपने पति, सास, ससुर और ननद से राजीनामा कर लिया है, इसलिये मेरे पति द्वारा मारपीट और पति, सास ससुर ननंद के द्वारा पैसे और साडी की मांग व दहेज की बात व शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाली बात आज मैं न्यायालय में नहीं बता रही हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे सास, ससुर एवं ननद के द्वारा मुझे कभी भी 50 साडी मायके से लेकर आने का नहीं कहा था।

06- यह कहना सही है कि 27.11.2021 को मेरे द्वारा गवाहों की उपस्थिति में विवाह पत्रिका, विवाह फोटो, स्त्री धन की सूची मेरे द्वारा पेश करने पुलिस वालों ने जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर, जप्ती पत्रक पर मेरा हस्ताक्षर लिया था, साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र०पी० 04 के मैं उक्त पते..... लिखी गई, को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैंने पुलिस को ऐसा कोई भी कथन नहीं दिया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश मिश्रा वास्ते आरोपी

07- यह कहना सही है कि प्र०पी 01 तथा 02 का हस्ताक्षर करते समय मैंने नहीं देखा था कि उसके उपर क्या लिखा था, साक्षी प्र०पी० 01 की शिकायत न तो मेरे



26
कु. ठासीका दिंडही
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
दुम (छ.प्र.)

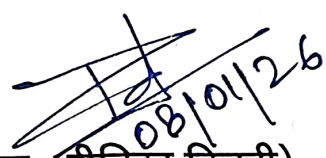
बताये अनुसार, न ही मेरे समक्ष टाईप किया गया था। प्र०डी०-01 स्त्री धन सूची मेरे बताये अनुसार नहीं बनाया गया था, मैंने उसपर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया था। यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा मुझसे कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि आरोपीगण द्वारा मुझे कभी भी दहेज की मांग करते हुये प्रताड़ित नहीं किया गया था।

08- यह कहना सही है कि विवाह के समय मेरे पिता एवं घरवालों के द्वारा आरोपीगण को दहेज नहीं दिया गया था। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को प्रपी० 04 का कथन नहीं दिया था, मुझे नहीं मालूम की पुलिस ने उक्त कथन कैसे लिखा है।

समय 05.00 P.M. में समाप्त ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया
साक्षी ने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।


(कु० रीतिका ढिडही)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दुर्ग (छ०ग०)


(कु० रीतिका ढिडही)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दुर्ग (छ०ग०)


गवाह के हस्ताक्षर